[2021] 7 एस. सी. आर. 671

अजय पाल सिंह और हमारा।

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर।

(सिविल अपील सं. 5738-2021 का 5739)

23 सितंबर, 2021

[एम. आर. शाह और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-मुआवजे में वृद्धि-दो अलग-अलग भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की गई।

भूमि अधिग्रहण के लिए-एक कार्यवाही अधिसूचना में यू / धारा 4 विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को 30.04.1976 पर जारी किया गया था

रुपये के मुआवजे के लिए पुरस्कार घोषित किया। 38 प्रति वर्ग गज

हालांकि, संदर्भ न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाया

रु. 4.628 प्रति वर्ग गज-पीड़ित, भूमि मालिकों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जिन्हें खारिज कर दिया गया-एक अन्य कार्यवाही में, अधिसूचना यू / धारा 4 16.09.1976 पर जारी किया गया था-संदर्भ न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाकर 6 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया-उच्च न्यायालय ने मुआवजे में वृद्धि की अपील को खारिज कर दिया और

संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की-दोनों अपीलें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हैं-दोनों पक्षों के अपीलकर्ताओं ने मुआवजे को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का अनुरोध किया। 297 / - मंगू और ओआरएस में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर भरोसा करके प्रति वर्ग गज। वी. यू. पी. राज्य-आयोजितः मंगू और ओआरएस का मामला। , अधिसूचना यू/एस। 4 अधिनियम की अधिसूचना वर्ष 1991 में जारी की गई थी, लेकिन वर्तमान मामले में अधिसूचना यू/एस। 4 अधिनियम का आदेश वर्ष 1976 में जारी किया गया था-मंगू और अन्य के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश। अधिग्रहण की तारीखों के बीच लगभग 15 साल के समय अंतराल के कारण इसे तुलनीय नहीं कहा जा सकता है-वर्तमान मामले में दावेदार प्रति वर्ग गज मुआवजे का दावा नहीं कर सकते हैं। मंगू और ओआरएस के मामले में निर्णय पर। वर्ष 1991 के अधिग्रहण के संबंध में-हालाँकि, जगमल बनाम के मामले में। उत्तर प्रदेश राज्य, उच्च न्यायालय ने नोट किया और मुआवजे का निर्धारण किया। 28.12 पैसा प्रति वर्ग गज और इसकी पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी-इसलिए, अधिक से अधिक, दावेदारों को रुपये के मुआवजे का हकदार कहा जा सकता है। वर्ष 1976-1977 में अधिग्रहित भूमि के संबंध में प्रति वर्ग गज 28.12 पैसा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. उच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए

मंगू और ओआरएस के मामले में। , जिस पर दावेदार-भूमि मालिकों द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया है, यह मंगू और ओआरएस के मामले में सामने आता है। , अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना वर्ष 1991 में जारी की गई थी, लेकिन वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी

01.06.1976 . यहां तक कि मंगू और ओआरएस के मामले में भूमि का कब्जा भी। 1992 में लिया गया था और वर्तमान मामले में

इस भूमि पर 1976 में कब्जा कर लिया गया था। वर्तमान मामले में, पुरस्कार विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा 25.02.1978 पर घोषित किया गया था, जबकि मंगू और अन्य के मामले में। , पुरस्कार विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा 20.09.1993 पर घोषित किया गया था और इसलिए, उक्त निर्णय और आदेश

पास हो गया।

मंगू और अन्य के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा। अधिग्रहण की तारीखों के बीच लगभग 15 साल के समय के अंतराल के कारण इसे तुलनीय नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने मंगू और अन्य के मामले में 2004 की प्रथम अपील संख्या 1100 के बैच का फैसला किया। पहली अपील (डी) संख्या के साथ। 21 1987 का 52,1987 का 162 और 1987 का 17। कोई नहीं।

विशेष रूप से इंगित किया कि प्रथम अपील (डी) सं। 21 1987 का 52,1987 का 162 और 1987 का 17 1977 के अधिग्रहण के संबंध में थे। इसलिए, उपरोक्त संदर्भ को यांत्रिक रूप से ध्यान में रखे बिना प्रथम अपील (डी) सं। 21 वर्ष 1977 के अधिग्रहण के संबंध में 1987 का 52,1987 का 162 और 1987 का 17 का निपटारा 2004 की प्रथम अपील के साथ किया गया और यांत्रिक रूप से मुआवजे के संबंध में 1977 के अधिग्रहण के बाद इसे बढ़ाकर Rs.297/- प्रति वर्ग गज कर दिया गया। कि इस प्रकार यह उच्च न्यायालय की ओर से 1977 और 1991 के अधिग्रहण के संबंध में अंतर को ध्यान में नहीं रखना एक गलती थी। किसी को भी अदालत या किसी भी पक्ष की गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा

13] [681 - बी-एफ; 682-डी]

3. कुछ समय के लिए यह मानते हुए कि समीक्षा

आवेदन लंबित हैं, यह न्यायालय समीक्षा आवेदन दायर करने की बाद की घटनाओं पर ध्यान नहीं दे सकता है, जिनका उस मामले में भी उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना बाकी है और ऊपर बताए गए कारणों और स्पष्ट गलती पर विचार करते हुए अजय पाल सिंह और ओआरएस।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और

एएनआर।

मंगू और अन्य के मामले में निर्णय के आधार पर प्रति वर्ग गज मुआवजे का दावा करें। वर्ष 1991 के अधिग्रहण के संबंध में। [पैरा 13.1] [682-एफ-जी] 4. इस स्तर पर, यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि दावेदारों ने जगमल बनाम के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले पर भी बहुत अधिक भरोसा किया है। प्रथम अपील सं. में यू. पी. राज्य

16.09.1976 . तथापि, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जगमल बनाम के मामले में 1984 की प्रथम अपील में 11.03.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश पारित किया गया था। उत्तर प्रदेश की स्थिति की बाद में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की गई, जिसमें सिविल मिस्क को अनुमति दी गई। 2015 के आवेदन की समीक्षा करें जिसमें उच्च न्यायालय ने बाद में नोट किया और मुआवजे का निर्धारण किया। 28.12 पैसा प्रति वर्ग गज। यह दोहराया जाता है कि निर्णय में 2021 का आई. ए. सं. 116578 मुआवजे को घटाकर रु. वर्ष 1976 में अधिग्रहित भूमि के लिए प्रति वर्ग गज 28.12 पैसा है

इस अदालत द्वारा दिनांकित 30.09.2016 आदेश द्वारा पुष्टि की गई। [पैरा 13.2] [682-जी-एच; 683-ए-बी; 683-डी]

मुआवजे के रूप में रु। वर्ष 1976-1977 में अधिग्रहित भूमि के संबंध में प्रति वर्ग गज 28.12 पैसा। [पैरा 13.3] [683-ई-एफ] 6. अपीलार्थी दावा कर रहे हैं कि अपीलार्थी के मामले में, भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1976 में और खज़ान और अन्य के मामले में किया गया था। बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ने वर्ष 1983 में भूमि का अधिग्रहण किया था, जिसमें प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत मूल्यह्रास की कटौती का एक सूत्र अपनाया गया था और 07 वर्षों के लिए 10 प्रतिशत मूल्यह्रास की कटौती के बाद, मुआवजे का निर्धारण किया जा सकता है।

स्वीकार कर लिया। कानून के तय किए गए पूर्वसर्ग के अनुसार, बाद में अधिग्रहित भूमि के लिए निर्धारित मुआवजे को [2021] 7 एस. सी. आर. नहीं कहा जा सकता है।

बिल्कुल भी तुलनीय होना। अन्यथा भी तथ्यों में और परिस्थितियों में, इसकी तुलना इस तथ्य के कारण नहीं की जा सकती है कि यह रिकॉर्ड में आया है कि वर्ष 1976 में जब विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण किया गया था, तो कोई विकास नहीं हुआ था, हालांकि, बाद में, 1980 के बाद विकास हुआ था और यहां तक कि विकास योजना को उस समय मंजूरी दी गई थी जब वर्ष 1983 में भूमि का अधिग्रहण किया गया था, इसलिए उपरोक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [पैरा 14] [683-एच; 684 ए-सी]

मंगू और ओआरएस। वी. यू. पी. अपील सं. 1100 का राज्य

2004 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया; खज़ान और अन्य। वी. यू. पी. राज्य (1997 की पहली अपील सं. 564 द्वारा निर्णय लिया गया

उच्च न्यायालय); सावित्री देवी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

और ओआरएस। (2015) 7 एससीसी 21: [2015] 7 एससीआर 512 - संदर्भित किया गया।

जगमल बनाम. यू. पी. राज्य (1984 की पहली अपील सं. 458)

उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया और द्वारा पुष्टि की गई

उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 30.09.2016 के आदेश द्वारा)-भरोसा किया पर।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 7 एससीआर 512

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8.3

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.5738

5739 2021 से।

उच्च न्यायालय के 02.11.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सिविल मिस्क में इलाहाबाद में न्यायपालिका। 1984 की पहली अपील में 2016 का आवेदन सं. 167571 और 1984 की पहली अपील में दिनांकित आदेश।

के साथ

2021 की सिविल अपील No.5740।

डॉ. हर्षवीर प्रताप शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , के. एस. राणा, ओ. एन. सिंह

डॉ. राजीव शर्मा, पंकज दुबे, प्रशांत शर्मा, रघुवीर शर्मा, विपिन कुमार शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, सुश्री शिप्रा शुक्ला, सुश्री मीना हसन, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

वी. के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राजीव कुमार दुबे, आशिवान मिश्रा,

अनुराग तिवारी, सुश्री वैद्यति मिश्रा, कमलेंद्र मिश्रा, रचित मित्तल, मनोहर नागर, सुधीर नागर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

अजय पाल सिंह और हमारा। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और

एएनआर।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और दिनांक 15.12.2016 आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

2. 2021 की सिविल अपील संख्या 5740 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उसने 1983 की प्रथम अपील सं. 203 को खारिज कर दिया है और विद्वत संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है जिसमें अधिग्रहित भूमि के लिए 6/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा दिया गया है।

सिविल अपील सं। 5738-5739 2021 का

3. भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें 589 बीघा, 6 बिसवा और 14 बिसवांसी भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव था। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (इसके बाद) के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। नियोजित विकास के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत गठित "नोएडा" के रूप में संदर्भित)

एन. ओ. आई. डी. ए. के अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्र में उद्योगों का। धारा 6 के तहत घोषणा 01.05.1976 पर प्रकाशित की गई थी। कलेक्टर द्वारा 31.07.1977 पर भूमि का कब्जा ले लिया गया था। विशेष भूमि अधिग्रहण

अधिकारी ने 28.03.1977 की पेशकश पर मुआवजे के लिए पुरस्कार घोषित किया क्षतिपूर्ति @Rs.10,200/- प्रति बीघा, यानी रु। 38 प्रति वर्ग गज। भूमि मालिकों के कहने पर, एक संदर्भ दिया गया था

मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ न्यायालय। संदर्भ न्यायालय के समक्ष, भूमि मालिकों ने Rs.10/- प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजे का दावा किया। हालांकि, रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद, संदर्भ न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाकर Rs.14,000/- प्रति बीघा (रु। 4.628 प्रति वर्ग गज)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. मुआवजे को बढ़ाने के लिए संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

Rs.14,000/- प्रति बीघा केवल (रु। 4.628 प्रति वर्ग गज), भूमि मालिकों ने पहली अपील संख्या को प्राथमिकता दी। 195 इलाहाबाद में न्यायिक उच्च न्यायालय के समक्ष 1983 की धारा और 1984 की धारा 487 और विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपीलों को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के समक्ष, आदेश एक्स. एल. आई. नियम 27 के तहत एक आवेदन को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए प्राथमिकता दी गई थी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया था। 5. अपीलों को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

और संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए मुआवजे को बढ़ाकर रु। 4.628 प्रति वर्ग गज, दावेदार-मूल भूमि मालिकों ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2021 की सिविल अपील संख्या 5740

6. जहां तक 2021 की सिविल अपील संख्या 5740 का संबंध है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें नोएडा के विकास के लिए बरौला, परगना और गाजियाबाद जिले में 154 बीघा 9 बीघा और 11 बीघा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। और उक्त उद्देश्य के लिए, धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी

16.09.1976 . धारा 6 के तहत घोषणा 16.09.1976 पर जारी की गई थी। मूल भूमि मालिकों के कहने पर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत जिला न्यायालय के समक्ष निर्देश दिया गया था। द.

संदर्भ न्यायालय-विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद मुआवजे को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया। 18,150 / - प्रति बीघा (6 रुपये प्रति वर्ग)

यार्ड)। उच्च न्यायालय ने 1983 की प्रथम अपील में विवादित निर्णय और आदेश द्वारा मुआवजे को बढ़ाने के लिए उक्त अपील को खारिज कर दिया है और संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है। इसलिए वर्तमान अपील।

8. संबंधित अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने मुआवजे को Rs.297/- प्रति वर्ग गज तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। फर्स्ट अजय पाल सिंह एंड ओआरएस में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर भरोसा करना।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.]

मंगू और अन्य शीर्षक वाली 2004 की अपील संख्या 1100। बनाम। यू. पी. राज्य ने यह प्रस्तुत किया है कि 2004 की पहली अपील का निपटारा करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाकर Rs.297/- प्रति वर्ग गज कर दिया था, उच्च न्यायालय ने पहली अपील (डी) संख्या का भी निपटारा किया। 21 वर्ष 1977 में अधिग्रहित भूमि के संबंध में 1987 का 52,1987 का 162 और 1987 का 17। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त चार अपीलें वर्ष 1977 में किए गए अधिग्रहण के संबंध में थीं और एक

2004 की प्रथम अपील सं. 1100 में सामान्य निर्णय और आदेश, अर्थात मंगू और अन्य के मामले में। (ऊपर), मुआवजे को बढ़ाकर Rs.297/- प्रति वर्ग गज कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रथम अपील (डी) संख्या में मुआवजे को बढ़ाकर Rs.297/- प्रति वर्ग गज कर दिया है। 21 वर्ष 1977 में अधिग्रहित भूमि के संबंध में 1987 का 52,1987 का 162 और 1987 का 17, वर्तमान मामले में भी, दावेदार मुआवजे को Rs.297/प्रति वर्ग गज तक बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वर्तमान मामले में, भूमि वर्ष 1976 में अधिग्रहित की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय ने दिनांकित 27.01.2016 के आदेश के माध्यम से भी विशेष अनुमति याचिका को चुनौती देते हुए खारिज कर दिया है

मंगू और अन्य के मामले में 03.12.2014 दिनांकित निर्णय। (ऊपर)।

8.1 यह आगे अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है-मूल दावेदार जो जिले के मानचित्र पर भरोसा करते हैं।

गौतम बुद्ध नगर वह गाँव बरौला (वर्तमान में अधिग्रहित भूमि)

मामला) और गाँव काकराला खासपुर (मंगू और अन्य के मामले में अधिग्रहित भूमि। (सुप्रा)) एक दूसरे से सटे हुए हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थियों की भूमि समान रूप से स्थित होने के कारण, वर्तमान अपीलार्थी भी समानता और समानता के सिद्धांत के आधार पर प्रति वर्ग गज मुआवजे के हकदार हैं।

खज़ान और ओआरएस के मामले में मुआवजे पर विचार करते हुए बढ़े हुए मुआवजे का भी दावा कर रहे हैं। बनाम। यू. पी. राज्य (1997 की पहली अपील सं. 564), जहां अधिग्रहण की कार्यवाही वर्ष 1983 में शुरू किया गया और मुआवजे को बढ़ाया गया

Rs.297/- प्रति वर्ग गज। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिन अपीलार्थियों की भूमि वर्ष 1976 में अधिग्रहित की गई थी, उन्हें प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत मूल्यह्रास की कटौती के सूत्र को अपनाकर मुआवजे का हकदार ठहराया जा सकता है और 07 वर्षों के लिए 10 प्रतिशत मूल्यह्रास की कटौती के बाद, अपीलार्थियों को तदनुसार बढ़े हुए मुआवजे के साथ प्रदान किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9. नोएडा की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री मित्तल ने इन सभी अपीलों का जोरदार विरोध किया है।
9.1 नोएडा की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री मित्तल ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मंगू और अन्य के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश। (उपर्युक्त) वर्तमान अधिग्रहण पर लागू नहीं होगा और इसे ऐसा नहीं कहा जा सकता है

बिल्कुल भी तुलनीय। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह सच है कि प्रथम अपील (डी) सं। 21 वर्ष 1977 के अधिग्रहण के संबंध में 1987; 1987 का 52; 1987 का 162 और 1987 का 17 का भी पहली अपील सं. मंगू और अन्य के मामले में 2004 का 1100। (ऊपर) और उच्च न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाकर Rs.297/- प्रति वर्ग गज कर दिया, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनजाने में और इस तथ्य के कारण कि उच्च न्यायालय ने वर्ष 1991 के अधिग्रहण के संबंध में 2004 की पहली अपील संख्या 1100 के साथ अपीलों के समूह का निपटारा किया, न तो उच्च न्यायालय द्वारा इस पर ध्यान दिया गया और न ही नोएडा और राज्य के विद्वान वकील द्वारा इस पर ध्यान दिया गया कि पहली अपील (डी) संख्या। 21 1987 का; 1987 का 52; 1987 का 162 और 1987 का 17 वर्ष 1977 में अधिग्रहण के संबंध में थे और उच्च न्यायालय के संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया था कि उपरोक्त चार पहली अपीलें 1977 के अधिग्रहण से संबंधित थीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उपरोक्त चार पहली अपीलें वर्ष 1977 के अधिग्रहण के संबंध में थीं, मंगू और अन्य के मामले में 2004 की पहली अपील के साथ उपरोक्त चार पहली अपीलों का निपटारा किया गया। (ऊपर) यांत्रिक रूप से और अजय पाल सिंह और ओआरएस के बिना।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.]

अधिग्रहण की तारीखों और अनजाने में मुआवजे के बीच के अंतर को देखते हुए मंगू और अन्य के मामले में 2004 की पहली अपील संख्या 1100 के साथ प्रति वर्ग गज Rs.297/- तक बढ़ा दिया गया था। (ऊपर)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त गलती को तुरंत महसूस करने के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा आवेदनों को प्राथमिकता दी गई है और वे लंबित हैं।

9.2 हालांकि, श्री मित्तल, विद्वान वकील की ओर से पेश हुए

एन. ओ. आई. डी. ए. ने उचित रूप से विचार किया है कि उच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए बाद में इस न्यायालय द्वारा उसी भूमि के सह-मालिक के मामले में पुष्टि की गई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। 28.12 पैसा प्रति वर्ग गज, उस हद तक, अपीलों की अनुमति दी जा सकती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को संशोधित किया जा सकता है और मुआवजे को बढ़ाकर 500 रुपये किया जा सकता है। 28.12 पैसा प्रति वर्ग गज।

9.3 श्री मित्तल, नोएडा की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

उन्होंने आगे यह भी बताया है कि जहाँ तक जगमल बनाम के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भरता है। उत्तर प्रदेश राज्य-1984 की पहली अपील संख्या 458 दिनांक 11.03.2015 का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त आदेश की बाद में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2016 के आदेश द्वारा समीक्षा की गई है और मुआवजे की राशि रु। 28.12 पैसा प्रति वर्ग गज। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजे का निर्धारण करने के लिए समीक्षा में पारित आदेश @रु। इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 30.09.2016 आदेश द्वारा प्रति वर्ग गज 28.12 पैसे की पुष्टि की गई है।

9.4 नोएडा की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने भी

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निम्नलिखित निर्णयों और आदेश पर भरोसा करते हुए मुआवजे का निर्धारण किया गया। वर्ष 1976 से संबंधित अधिग्रहण के संबंध में प्रति वर्ग गज 28.12 पैसाः

टिप्पणियां

एस. नं.

विशिष्टताएँ

माननीय उच्च न्यायालय ने मुआवजा तय किया

1 . मदन लाल शर्मा बनाम राज्य

रु. 28.12 पैसा प्रति वर्ग कि. मी.

यार्ड द्वारा दिनांकित आदेश

08.09.2009

माननीय उच्च न्यायालय ने मुआवजा तय किया @

2 . भोला बनाम यू. पी. राज्य

रु. 28.12 पैसा प्रति वर्ग कि. मी.

यार्ड द्वारा दिनांकित आदेश

04.11.2016

माननीय उच्च न्यायालय ने मुआवजा

तय किया @

3 . ज्ञान चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

रु. 28.12 पैसा प्रति वर्ग कि. मी.

यार्ड द्वारा दिनांकित आदेश

14.12.2016 .

माननीय उच्च न्यायालय ने मुआवजा

तय किया @

4 . दाल चंद बनाम यू. पी. राज्य

रुपये 28.12 पैसा प्रति वर्ग

किलोमीटर। यार्ड द्वारा दिनांकित आदेश

03.11.2016

माननीय उच्च न्यायालय ने मुआवजा तय किया @

5 . जगदीश चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

रुपये 28.12 पैसा प्रति वर्ग

किलोमीटर। यार्ड द्वारा दिनांकित आदेश 21.12.2016 उक्त आदेश को पहले चुनौती दी गई थी

इस माननीय न्यायालय और

एसएलपी को वापस ले लिया गया था आदेश दिनांक 19.01.2018 [2021] 7 एस. सी. आर.

इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि सुसंगत रूप से

वर्ष 1976-1977 से संबंधित अधिग्रहण के लिए मुआवजे की राशि रुपये तय की गई है। 28.12 पैसा प्रति वर्ग गज।

9.5 अब, जहां तक डॉ. राजीव शर्मा द्वारा की गई वैकल्पिक प्रस्तुति की बात है, मूल भूमि मालिकों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

11. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि जहां तक नोएडा प्राधिकरण द्वारा समीक्षा आवेदन दाखिल करने की बात है, उपरोक्त चार प्रथम अपील (डी) सं। 21 1987 का; 1987 का 52; 1987 का 162 और 1987 का 17 संबंधित हैं, यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये समीक्षा आवेदन केवल 17.02.2019 पर दायर किए गए हैं और वे अभी भी दोषपूर्ण हैं और अभी तक उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये समीक्षा आवेदन एन. ओ. आई. डी. ए. प्राधिकरण द्वारा केवल तभी दायर किए गए हैं जब अपीलकर्ताओं ने अतिरिक्त दस्तावेजों में उपरोक्त चार पहली अपीलों का उल्लेख किया हो। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि वर्तमान अपीलों में समीक्षा आवेदन दायर करने के बाद की घटनाओं पर विचार न किया जाए।

12. संबंधित पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील को सुना

लंबाई में।

12.1 इन अपीलों में निर्धारण का एकमात्र बिंदु यह है कि क्या वर्तमान अपीलकर्ता-भूमि मालिक/दावेदार दावा करने में उचित हैं।

2004 की पहली अपील संख्या 1100 में पारित निर्णय की समानता का दावा करने वाले मुआवजे @Rs.297/- प्रति वर्ग गज-मंगू और अजय पाल सिंह और ओआरएस।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.]

ओआरएस। (उपर्युक्त) और प्रथम अपील (घ) सं. का निपटान करने वाला सामान्य निर्णय और आदेश। 21 1987 का; 1987 का 52; 1987 का 162 और 1987 का 17 2004 की पहली अपील संख्या 1100-मंगू और अन्य के साथ। (ऊपर) मुआवजे का निर्धारण @Rs.297/- प्रति वर्ग गज?

13. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनकर और मंगू और अन्य के मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करके। (उपर्युक्त), जिस पर दावेदार भूमि मालिकों द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया है, यह मंगू और ओआरएस के मामले में सामने आता है। (ऊपर), अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना वर्ष 1991 में जारी की गई थी, लेकिन वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। 01.06.1976 पर जारी किया गया था। यहां तक कि मंगू और ओआरएस के मामले में भूमि का कब्जा भी। (उपर्युक्त) को 1992 में अपने कब्जे में ले लिया गया था और वर्तमान मामले में भूमि का कब्जा 1976 में ले लिया गया था। में।

वर्तमान मामले में, पुरस्कार विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा 25.02.1978 पर घोषित किया गया था, जबकि मंगू और अन्य के मामले में। (ऊपर), पुरस्कार विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा घोषित किया गया था 20.09.1993 और, इसलिए, मंगू और अन्य के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश। (उपर्युक्त) को तुलनीय नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अधिग्रहण की तारीखों के बीच लगभग 15 साल का समय अंतराल है। तथापि, यह अपीलार्थियों की ओर से मामला है कि मंगू और अन्य के मामले में 2004 की प्रथम अपील का निपटारा करते समय। (ऊपर), उच्च न्यायालय ने भी निपटाया

प्रथम अपील (डी) सं। 21 वर्ष 1977 और उच्च न्यायालय के अधिग्रहण के संबंध में 1987 का 52,1987 का 162 और 1987 का 17

अदालत ने मुआवजे को भी बढ़ाकर Rs.297/- प्रति वर्ग गज कर दिया।

वर्ष 1977 में अधिग्रहण के संबंध में उक्त पहली अपील और इसलिए समानता और समानता के आधार पर, वर्ष 1976 के अधिग्रहण के संबंध में दावेदार संवर्धित के हकदार हैं। Rs.297/- प्रति वर्ग गज का मुआवजा।

उपरोक्त बहुत आकर्षक प्रतीत होता है लेकिन निम्नलिखित कारणों से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है:

उस उच्च न्यायालय ने अपीलों के समूह का फैसला किया

((i)

मंगू और मंगू के मामले में 2004 की पहली अपील सं. 1100

ओआरएस। (ऊपर);

((ख)

ऐसा प्रतीत होता है कि अनजाने में और इस पर ध्यान दिए बिना जहाँ तक पहली अपील (डी) संख्या का संबंध है। 21 1987 का; 1987 का 52; 1987 का 162 और 1987 का 17 संबंधित हैं, वे [2021] 7 एस. सी. आर. के साथ थे।

वर्ष 1977 के अधिग्रहण के संबंध में, अनजाने में और गलती से उन्हें प्रथम अपील के साथ टैग कर दिया गया था। 2004 का सं. 1100;

((ग) किसी ने विशेष रूप से यह नहीं बताया कि प्रथम अपील (घ) सं। 21 1987 का 52,1987 का 162 और 1987 का 17 1977 के अधिग्रहण के संबंध में थे। इसलिए, उपरोक्त संदर्भ को यांत्रिक रूप से ध्यान में रखे बिना प्रथम अपील (डी) सं। 21 वर्ष 1977 के अधिग्रहण के संबंध में 1987 का 52,1987 का 162 और 1987 का 17 का निपटारा 2004 की पहली अपील के साथ किया गया और

यांत्रिक रूप से 1977 के अधिग्रहण के संबंध में मुआवजे को बढ़ाकर Rs.297/- प्रति वर्ग गज कर दिया गया।

((iv) इस प्रकार यह उच्च न्यायालय की ओर से वर्ष 1977 और 1991 के अधिग्रहण के संबंध में अंतर को ध्यान में नहीं रखना एक गलती थी;

(v) किसी को भी गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

न्यायालय या किसी भी पक्ष की, जो गलती अनजाने में और विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखे बिना हुई है। इस प्रकार यह अधिवक्ता का कर्तव्य था कि

सही तथ्यों को इंगित करने के लिए दावेदार;

(vi) अन्यथा भी यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसके तुरंत बाद

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समीक्षा आवेदनों को उपरोक्त पहली अपीलों में प्राथमिकता दी गई है और जिन्हें लंबित बताया गया है।

13.1 यह मानते हुए कि चूंकि समीक्षा आवेदन लंबित हैं, यह न्यायालय बाद की घटनाओं पर ध्यान नहीं दे सकता है -

समीक्षा आवेदन दायर करना, जिन पर अभी तक उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है, उस मामले में भी और ऊपर बताए गए कारणों से और ऊपर उल्लिखित स्पष्ट गलती पर विचार करते हुए, वर्तमान मामले में दावेदार मुआवजे का दावा नहीं कर सकते हैं। मंगू और ओआरएस के मामले में निर्णय पर। (उपर्युक्त) वर्ष 1991 के अधिग्रहण के संबंध में।

13.2 इस स्तर पर यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि दावेदारों ने मामले में उच्च न्यायालय के फैसले पर भी बहुत अधिक भरोसा किया है

जगमल बनाम। मुआवजे का निर्धारण करने वाली 1984 की पहली अपील संख्या 458 का राज्य। 297 / - दिनांक 16.09.1976 अधिसूचना द्वारा अधिग्रहित भूमि के संबंध में प्रति वर्ग गज।

हालांकि, यह अजय पाल सिंह और हमारा है। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.]

यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जगमल बनाम राज्य के मामले में 1984 की प्रथम अपील में 11.03.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश पारित किया गया।

यू. पी. (ऊपर) की बाद में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की गई

सिविल विविध को अनुमति देना। 2015 के आवेदन संख्या 174702 की समीक्षा करें जिसमें उच्च न्यायालय ने बाद में नोट किया और मुआवजे का निर्धारण किया। 28.12 पैसा प्रति वर्ग गज पैराग्राफ 31 में नीचे दिए गए अनुसारः

" 31. चूंकि एक ही अधिग्रहण और एक ही गाँव के मामले में और वर्ष 1976 और 1977 के अधिनियम की धारा 4 (1) की अधिसूचनाओं द्वारा आस-पास के या आस-पास के गाँवों की भूमि के अधिग्रहण में भी, इस अदालत ने मुआवजे का निर्धारण किया। 28.12 प्रति वर्ग गज और दावेदार अपीलार्थी या

उत्तरदाता तथ्यों के वर्तमान समूह में किसी भी विशिष्ट विशेषता को इंगित करने में विफल रहे हैं और इस तरह मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं है

कि दावेदार अपीलार्थी अपने मुआवजे के हकदार हैं

रुपये की दर से अधिग्रहित भूमि। 28.12 प्रति वर्ग गज "।

यह दोहराया जाता है कि 2021 के आई. ए. सं. 116578 में मुआवजे को घटाकर 50,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 1976 में अधिग्रहित भूमि के लिए प्रति वर्ग गज 28.12 पैसे की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2016 के आदेश द्वारा की गई है। 13.3 ऊपर दी गई तालिका से यह भी देखा जा सकता है कि वर्ष 1976-1977 से संबंधित अधिग्रहण के संबंध में

लगातार उच्च न्यायालय ने मुआवजे का निर्धारण किया है। 28.12 पैसा प्रति वर्ग गज। यहां तक कि एक मामले में, यानी जगदीश चंद बनाम के मामले में भी। यू. पी. राज्य (ऊपर) जहां उच्च न्यायालय ने मुआवजे का निर्धारण किया है। वर्ष 1976-1977 से संबंधित अधिग्रहण के संबंध में प्रति वर्ग गज 28.12 पैसे, विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया है। इसलिए, अधिक से अधिक, दावेदारों को रुपये के मुआवजे का हकदार कहा जा सकता है। वर्ष 1976-1977 में अधिग्रहित भूमि के संबंध में प्रति वर्ग गज 28.12 पैसा।

14. अब, जहां तक यह निर्धारित करने के लिए 2021 की सिविल अपील संख्या 5740 में दावेदारों की ओर से की गई वैकल्पिक प्रस्तुति है -

खज़ान और अन्य के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर मुआवजा। बनाम। यू. पी. (उपरोक्त) राज्य जहां वर्ष 1983 में अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू हुई थी और प्रति वर्ग गज के लिए मुआवजे का निर्धारण किया गया था, वहां उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी दावा कर रहे हैं कि अपीलार्थी के मामले में, भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1976 में और [2021] 7 एस. सी. आर. के मामले में किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खज़ान और ओआरएस। बनाम। यू. पी. राज्य (ऊपर) में भूमि का अधिग्रहण किया गया था

वर्ष 1983 में, प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत मूल्यह्रास की कटौती करने का एक सूत्र अपनाकर और 07 वर्षों के लिए 10 प्रतिशत मूल्यह्रास की कटौती करने के बाद, मुआवजे का निर्धारण किया जा सकता है, उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कानून के तय किए गए पूर्वसर्ग के अनुसार, बाद में अधिग्रहित भूमि के लिए निर्धारित मुआवजे की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती हैः सभी। अन्यथा भी तथ्यों और परिस्थितियों में, इसकी तुलना की जा सकती है क्योंकि यह तथ्य सामने आया है कि वर्ष 1976 में जब विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण किया गया था, तो कोई विकास नहीं हुआ था, हालांकि, बाद में, 1980 के बाद विकास हुआ था और यहां तक कि विकास योजना को उस समय मंजूरी दी गई थी जब वर्ष 1983 में भूमि का अधिग्रहण किया गया था, इसलिए उपरोक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

15. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है। यह माना जाता है कि मूल भूमि मालिक

दावेदार-यहाँ अपीलकर्ता रुपये के मुआवजे के हकदार हैं। वर्ष 1976 में अधिग्रहित भूमि के संबंध में प्रति वर्ग गज 28.12 पैसा। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। यह बिना कहे चला जाता है कि दावेदार मुआवजे की बढ़ी हुई राशि पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध वैधानिक लाभों के हकदार होंगे। 28.12 पैसा प्रति वर्ग गज।

उपरोक्त सीमा तक सभी अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है, हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान

अपीलों को

आंशिक रूप से अनुमति दी गई।